

यात्रा भत्ता आगम के लिए आवेदन पत्र  
फार्म भरने से पहले पीछे दिए प्रमाण-पत्र पढ़ें

1. नाम व पद \_\_\_\_\_
2. क० मूल वेतन \_\_\_\_\_  
ख० नौकरी पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि \_\_\_\_\_  
ग० इस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि यदि राज्य सरकार/दूसरे विभाग से प्रोत्तानयुक्त पर है \_\_\_\_\_  
घ० क्या स्थाई/स्थायित है \_\_\_\_\_  
च० यदि अस्थायी है तो क्या स्थाई कर्मचारी से जमानत प्रस्तुत की गई है \_\_\_\_\_  
छ० जमानत का विवरण \_\_\_\_\_
3. गृह मंत्रालय के ज्ञापन दिनांक 11-10-56 के सं. 43/1/55 के स्था-एक० भाग-2० के अनुसार घोषित मूल निवास स्थान \_\_\_\_\_  
क० समीपतम रेलवे स्टेशन \_\_\_\_\_  
ख० गन्तव्य स्थान \_\_\_\_\_  
ग० क्या गन्तव्य स्थान मूल निवास स्थान है। हाँ/नहीं \_\_\_\_\_  
घ० निकटतम मार्ग द्वारा दिल्ली से दूरी कि०मी०० मार्ग का विवरण \_\_\_\_\_  
च० क्या यात्रा रेल/बस द्वारा होनी है \_\_\_\_\_
4. पिछले यात्रा भत्ते का विवरण \_\_\_\_\_  
क० माह और वर्ष जिसमें प्राप्त किया \_\_\_\_\_  
ख० पिछला ब्लॉक वर्ष \_\_\_\_\_
5. क० इस यात्रा भत्ता का ब्लॉक वर्ष \_\_\_\_\_  
ख० यात्रा शुरू होने की तारीख \_\_\_\_\_

6. स्वयं सहित परिवार के सदस्यों का विवरण

क्र.सं. नाम संबंध उम्र

7. क्या सरकारी कर्मचारी स्वयं व उसके

परिवार के सदस्य एक साथ यात्रा करेंगे । \_\_\_\_\_

हां/नहीं

8. छुट्टी की अवधि व प्रकार जिसमें

यात्रा की जाएगी \_\_\_\_\_

छुट्टी प्रार्थना पत्र की तैयारी जिसमें

यात्रा भत्ता लेने को दर्शाया गया है \_\_\_\_\_

9. छ्रेणी जिसमें यात्रा की जानी है \_\_\_\_\_

जिस छ्रेणी का अधिकारो 2100 जिसमें

यात्रा करना अपेक्षित है \_\_\_\_\_

अपेक्षित छ्रेणी का किराया \_\_\_\_\_

क्रम सं. 6 के अनुसार कुल किराया \_\_\_\_\_

अग्रिम की राशि कुल किराया का 90% \_\_\_\_\_

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. मैं और मेरे परिवार के सदस्य इस छ्रेणी में यात्रा करेंगे जिसके लिए अग्रिम प्रार्थित है ।
2. परिवार के सदस्य जिनकी आय पेंशन इत्यादि को मिलाकर 1500 से अधिक नहीं है । मुझ पर आश्रित है ।
3. मैंने अग्रिम और वापसी दोनों यात्रा के लिए स्वयं और परिवार के सदस्यों के लिए अग्रिम के लिए प्रार्थना की है वापसी यात्रा शुरू होने के 90 दिन के भीतर पूरी कर दी जाएगी । यदि बाद में ऐसा लगे कि अनुपस्थित 3 1/2 त्रिन माह से अधिक है तो आधा अग्रिम वापस कर दिया जाएगा ।

4. मैं यह वचन देता/देती हूँ कि अग्रिम प्राप्त करने के 10 दिनों के भीतर टिकट प्रस्तुत करूंगा/करूंगी अन्यथा पूरा अग्रिम तत्काल वापिस जमा करा दूंगा/दूंगी ।
5. यदि अग्रवर्ती यात्रा 30/60 दिनों के भीतर शुरू नहीं हुई तो अग्रिम की सारी राशी वापिस कर दी जायेगी ।
6. यदि किराए, गन्तव्य स्थान या यात्रा की श्रेणी में कोई बदली होती है तो मैं नियंत्रण अधिकारी को इसकी सूचना अग्रवर्ती यात्रा शुरू करने से पहले दूंगा/दूंगी ।
7. मैं समायोजन बिबल, अग्रिम की बची हुई राशी के चालान के साथ वापसी यात्रा पूरी होने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करूंगा/करूंगी अन्यथा अग्रिम की पूरी राशी पर प्राप्त की तिथि से दण्डात्मक दर पर ब्याज देय होगा ।
8. यदि मैं भाड़े पर ली गई बस से यात्रा करता/करती हूँ तो मैं बस परमिट यात्रियों की सूची नगद पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करूंगा/करूंगी जिसमें बस का रजिस्ट्रेशन नम्बर और बस के मालिक, सजेण्ट से एक प्रमाण पत्र भी होगा कि सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों ने इस नम्बर के वाहन से वास्तव में यात्रा की है ।

संलग्न - जमानत पत्र  
दिनांक-

हस्ताक्षर -----  
निदेशालय -----  
दूरभाष सं० -----

अंगोषित । कर्मचारी द्वारा दिया गया छुट्टी का प्रमाण पत्र स्वीकृति करने के लिए अनुमोदन के साथ भेजा जा रहा है ।

नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर -----  
नाम -----  
पदनाम -----

स्थापना-सक अनुभाग

लैखा-चार अनुभाग अग्रिम की स्वीकृति राशी सत्यापित करें ।

लैखा-चार अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग ।

